राजस्थान सरकार

# आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांक: CCE/P&C/ISDC/2019/ 636

Date: 27th February 2019

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (समस्त),
राजस्थान।

विषयः आयुक्तालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं/प्रस्तावों के संबंध में पूर्व में प्रेषित पत्रों के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि : –

- **खेल एवं कीड़ा :** महाविद्यालय में कीडा एवं खेलकूद विकास के लिए खेल का मैदान तैयार करवाने एवं खेलकूद हेतु आवश्यक सामान क्रय करने के लिए तर्कयुक्त व्यय की अनुमति होगी, परन्तु इसके लिये किसी भी कोच/रिसोर्स पर्सन को मानदेय अथवा परिवहन/दैनिक भत्तों के राजकोष मद से भुगतान की अनुमति नहीं होगी तथापि, यदि किसी दानदाता के सहयोग से यह गतिविधि कियान्वित होती है तो, इस पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

- **प्रतियोगिता दक्षता (निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं) के संबधं में :** प्रतियोगी परीक्षाओं में पंजीकृत विधार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा वर्गवार संख्या की अपडेटेड सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित करावें।

- **100 दिवसीय कार्य योजना :** 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत छात्र हित, संस्था हित, संकाय हित एवं सामाजिक सरोकार के अन्तर्गत प्रस्ताव मंगवाये गये थे, प्राप्त प्रस्तावों को देखने के उपरांत पाया गया है कि विभिन्न प्रस्तावों के अन्तर्गत आयुक्तालय/छात्र निधि एवं विकास समिति से व्यय की अनुमति चाही गयी थी, जिसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यो के लिए किसी भी प्रकार का मानदेय/यात्रा व्यय भत्ता देय नहीं होगा। इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक सामान क्रय करने की अनुमति है। ध्यान दें कि –
  - **(i) 100 दिवसीय कार्य योजना में संकाय सदस्य केन्द्रित नवाचारों के प्रस्तावों पर आयुक्तालय से पूर्वानुमती प्राप्त करें।**
  - **(i) 100 दिवसीय कार्य योजना में महाविद्यालय की नियमित गतिविधियों को प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करें। महाविद्यालय स्तर पर आरम्भ की जाने वाली गतिविधियों को ही इन प्रस्तावों में सम्मिलित करें।**

- **समस्याओं के संबधं में :** प्राप्त शिकायतों के कम में सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रपत्र में शिकायतों के अंकन के साथ–साथ प्रत्येक शिकायत को तथ्यों सहित संलग्न कर भिजवायी जावें, ताकि अतिशीघ्र समाधान किया जा सके। किसी भी स्थिति में **मौखिक अथवा व्हाटसएप पर प्रेषित समस्याओं पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होगा।**

- **सामान्य ज्ञान पुस्तकों के संबधं में :** सामान्य ज्ञान की क्रय एवं निशुल्क वितरित पुस्तकों की भी अपडेटेड सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित करावें।

- **राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा के संबधं में :** इस परीक्षा का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2019 को राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में किया जायेगा। इस परीक्षा में सत्र 2018–19 में राजकीय महाविद्यालयों में पंजीकृत सभी विद्यार्थी एवं सत्र 2019–20 में स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी भी भाग ले सकेंगे। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कार्य दिनांक 01 जून 2019 को प्रारम्भ करवाया जायेगा। पंजीकरण निःशुल्क होगा एवं विद्यार्थियों से इस प्रयोजनार्थ कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।

**प्रदीप कुमार बोरड़, IAS**
आयुक्त, कालेज शिक्षा एवं
विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान

वैबसाइट प्रभारी, आकाशि की वैबसाइट पर अपलोड करें।

26/2/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ